pan>

Title: Girl Child (Prevention of Commercialised Trafficking, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2022

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय सभापित महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ वि बालिकाओं के व्यावसायिक दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए, जिसमें किसी बालिक को प्रलोभन देकर, खरीदकर, या अपहरण करके या उसे व्यावसायिक लाभ के लि देवदासी के रूप में समर्पित करके वेश्यावृति के लिए बाध्य किया जाता है, इस तर के दुर्व्यापार के लिए मृत्युदंड सिहत भयपरितकारी दंड प्रदान करना और सरका द्वारा ऐसी बालिका के लिए पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी उपाय किए जाने औ उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक व पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the preventio of commercialized trafficking of girl child wherein a girl child is force into prostitution after luring, procuring or kidnapping her or dedicatin her as devadasi for commercial gains by providing deterrer punishment including capital punishment for such trafficking and for rehabilitation of and other welfare measures for such girl child to be undertaken by government and for matters connected therewith an incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित<u>*</u>* करता हूं।